

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन नं० 18/2012

प्रार्थी :- भूराराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी भाडियावास तह० पचपदरा जिला बाडमेर ।
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा
2. ठाकरा राम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी भाडियावास
3. प्रवीण कुमार पुत्र प्रभुराम जाति गौड ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीनगर -बाडमेर
4. चन्द्राराम पुत्र हरीराम जाति घांची निवासी धवा
5. पुखराज पुत्र केवाजी जाति घाची निवासी पचपदरा
6. गोरधनदास पुत्र हेमन्त दास जाति सिधी लोहाणा निवासी बालोतरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 125, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते
तरमीम दुरस्ती बाबत

अधिवक्तागण :- 1.श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थी
2.श्री चेलाराम वकील विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6

'आदेश'

दिनांक :- 15.07.2022

प्रार्थी की ओर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 125, 131 आर.एल.आर अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा भाण्डियावास में मूल खसरा सं. 10 में से प्रार्थी एवं प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी को भूमि आवंटित हुई इसी अनुसार उसी जगह काबिज रहकर प्रार्थी काश्त करता रह रहा है, प्रार्थी की रहवासीय ढाणी एवं पानी का टांका भी उसी जगह बना हुआ है हर वर्ष बरसात के दिनों में खेती की जी है, मूल खसरा 10 के नक्शा किस्तवार में कोई तरमीम तारीख 07.07.2010 तक नहीं थी। कभी भी विप्रार्थी संख्या 2 ठाकराराम या उनके हकपूर्वाधिकारी का उक्त भूमि के सडक की तरफ से हिस्से पर कोई कब्जा नहीं रहा किन्तु अवैध व अनुचित तरीके से रिश्तत लेकर काबिज खातेदार टिनेन्ट प्रार्थी का नुकसान कारित करने की नियम से ठाकराराम क साथ अवैध व अनुचित मिलावट कर हल्का पटवारी कुडी के द्वारा बिना किसी सक्षम भू-अभिलेख अधिकारी के आदेश के नक्शा मिलवाट में मूल खसरा सं. 10 में से तरमीमी खसरा सं 997/10 लिख कर लाल स्याही से लट्टा ट्रेस में लकीरे खींच कर बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य करते हुए हवाई व बिना कब्जे की तरमीम कर दी नक्शा लट्टा ट्रेस में कथित खसरा सं 897/10 के खातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को किसी प्रकार की न तो कोई लिखित सूचना दी न इस प्राकर की तरमीम की कोई जानकारी होने दी, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार जिले में दो ही भू-अभिलेख अधिकारी होते हैं प्रथम जिला कलक्टर की पूरे जिले क लिए द्वितीय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ) उपखण्ड क्षेत्र के लिए और उन्ही के द्वारा नक्शा में तरमीम/सुधार की प्रविष्टिया केवल मात्र अंकित की जाती है अन्य किसी व्यक्ति या लोक सेवक को राजस्व अभिलेख नक्शा किस्तवार में तरमीम की प्रविष्टिया दर्ज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यदि बिना क्षेत्राधिकार के कोई अवैध कृत्य से तरमीमी की जाती है तो ऐसे तरमीम की प्रविष्टियों से कोई हक न तो उत्पन्न होते हैं और न समाप्त ही होते हैं, धारा 131 रा.भू.रा के अन्तर्गम सक्षम भू-अभिलेख अधिकारी के द्वारा यदि मूल खसरे में कोई तरमीम सुधार की प्रविष्टिया अंकित की जाती है तो उस उक्त मूल खसरे के तरमीमी खसरो के सभी खातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सुना जाना प्राकृतिक न्याय के अनुसार



(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अतिआवश्यक है क्योंकि ऐसी तरमीम/सुधार की प्रविष्टियां से काबिज खातेदारान के हक प्रभावित होते है, प्रार्थी की ओर से अवैध तरमीम हटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु बावजूद भी लट्टा ट्रेस में की गई अवैध तरमीम को नही हटाया गया ऐसी स्थिति में वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रार्थी के पास कोई सहारा नहीं रहा, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल खसरा संख्या 10 मौजा भाण्डियावास में बिना क्षेत्राधिकार के अवैध रूप से काबिज खातेदार टिनेन्ट को नुकसान कारित करने की नियत से राजस्व अभिलेख नक्शा किस्तवार में हल्का पटवारी द्वारा की गयी टेम्परिंग तरमीम खसरा सं. 897/10 को तुरन्त हटाया जाकर नक्शा किस्तवार की स्थिति को तारीख 07.07.2010 के अनुसार न्याय हित में पुन कायम किया जावे बाद जांच एवं मौका स्थिति अवलोकन दोषी लोकसेवक के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही करावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया विप्रार्थीगण सं. 2 के अधिवक्ता के जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी को खसरा सं. 10 में भूमि आवंति नही हुई, खसरा सं. 10 की 30 बीघा भूमि बालोतरा जोधपुर मार्ग से लगती भूमि पर जमना पत्नि रूगाराम विश्नोई का कब्जा काशत था उसी भूमि को उनके कब्जा अनुसार जमना को आवंटित की गई, सवत् 2033-33 के मध्य इस राजमार्ग को चौड़ा किया गया जिस पर जमना की खातेदारी भूमि का 7 बीघा 10 विस्वा हिस्सा उक्त राजमार्ग हेतु लिया जाकर जमना की खातेदारी में से कम कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई और शेष रकबा जमना के खातेदारी में दर्ज रहा, जमना के द्वारा उक्त भूमि का बेचान गोपाल कृष्ण पुत्र जैरूपाराम को जरिये रजिस्ट्री किया, गोपाल कृष्ण द्वारा उक्त भूमि को विप्रार्थी सं. 2 को बैचान की तब से ठाकराराम का का कब्जा व काशत है एवं रहवासिय ढाणी भी बनायी हुई है विप्रार्थी सं. 2 के निवेदन एवं दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जे का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात भूमि को तरमीम किया गया, प्रार्थी की भूमि विप्रार्थी सं. 2 के पड़ोसी में नही लगती है इसलिए प्रार्थी को सुचना नहीं है, प्रार्थी शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है तरमीम जो दस्तावेजात व मौके पर भौतिक कब्जें के सत्यापन के बाद की गई थी जिसे हटाने का अधिकारी प्रार्थी नही है, प्रार्थी की भूमि राजमार्ग से लगती नहीं है जमीनो के भाव बढ़ जाने से प्रार्थी राजमार्ग पर आना चाहता है इसलिए प्रार्थी ने झूठा व बेबुनियादी प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थी की ओर से दायर किया गया वाद सं. 1/11 के लम्बित रहते प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, विप्रार्थी ने उक्त भूमि का बैचान कर दिया है ।

न्यायालय में जवाब विप्रार्थी पेश होने पर भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा से उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, प्रथम मौका रिपोर्ट तारीख 12.5.2011 के अनुसार मूल खसरा संख्या 10 मौजा भाण्डियावासा को मूल रकबा 202 बीघा 02 विस्वा था किन्तु तत्पश्चात उक्त आवंटन में आवंटियों को 222 बीघा 02 विस्वा भूमि आवंटित हुई जो कि कुल रकबे से 20 बीघा अधिक आवंटन हुआ इसके उक्त भूमि में जो व्यक्ति खातेदार नहीं है उनका भी कुल 11 बीघा 15 विस्वा भूमि पर अतिक्रमण एवं मौके पर सडक में 7 बीघा 10 विस्वा को आवंटन कर 11 बीघा भूमि सडक हेतु काम ली गई है ।

उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा उक्त भूमि की पुन भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा से 16.01.2014 को मौके पर सम्बंधित हल्का पटवारी कुडी व लट्टा ट्रेस में जांच करवाया गया कि प्रार्थी को खसरा सं. 10 में भूमि आवंति नही हुई, खसरा सं. 10 की 30 बीघा भूमि बालोतरा जोधपुर मार्ग से लगती भूमि पर जमना पत्नि रूगाराम विश्नोई का कब्जा काशत था उसी भूमि को उनके कब्जा अनुसार जमना को आवंटित की गई, सवत् 2033-33 के मध्य इस राजमार्ग को चौड़ा किया गया जिस पर जमना की खातेदारी भूमि का 7 बीघा 10 विस्वा हिस्सा उक्त राजमार्ग हेतु लिया जाकर जमना की खातेदारी में से कम कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई और शेष रकबा जमना के खातेदारी में दर्ज रहा, जमना के द्वारा उक्त भूमि का बेचान गोपाल कृष्ण पुत्र जैरूपाराम को जरिये रजिस्ट्री किया, गोपाल कृष्ण द्वारा उक्त भूमि को विप्रार्थी सं. 2 को बैचान की तब से ठाकराराम का का कब्जा व काशत है एवं रहवासिय ढाणी भी बनायी हुई है विप्रार्थी सं. 2 के निवेदन एवं दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जे का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात भूमि को तरमीम किया गया, प्रार्थी की भूमि विप्रार्थी सं. 2 के पड़ोसी में नही लगती है इसलिए प्रार्थी को सुचना नहीं है, प्रार्थी शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है तरमीम जो दस्तावेजात व मौके पर भौतिक कब्जें के सत्यापन के बाद की गई थी जिसे हटाने का अधिकारी प्रार्थी नही है, प्रार्थी की भूमि राजमार्ग से लगती नहीं है जमीनो के भाव बढ़ जाने से प्रार्थी राजमार्ग पर आना चाहता है इसलिए प्रार्थी ने झूठा व बेबुनियादी प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थी की ओर से दायर किया गया वाद सं. 1/11 के लम्बित रहते प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, विप्रार्थी ने उक्त भूमि का बैचान कर दिया है ।



(सोनी)
सप्लाइंग अधिकारी
बालोतरा

अलावा इसके खसरा सं. 897/10 की तरमीम मुख्य सड़क (एनएच-112) पर की गई है जो ठाकराराम के कब्जे में बतायी थी उस भूमि पर ठाकराराम का कभी कब्जा काशत नहीं रहा

उक्त प्रकरण दिनांक 19.2.2014 को निर्णित किया जिसके विरुद्ध राजस्व अपील संख्या 255/2017 अपीलकर्ता प्रवीण कुमार पुत्र भूराराम पेश हुई जो तारीख 15.12.2017 को निर्णित कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थ एवं रैस्पोज गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा अपीलार्थीन भूमि के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद के निर्णय के मध्यनजर पुनः विविधसमत निर्णय पारित करे। अपीलार्थ एवं रैस्पोज गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। विप्रार्थीगण 3 ता 6 को नये पक्षकार संयोजित कर नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण 3 ता 6 और की ओर जवाब एवं दरतावेजात प्रस्तुत किये गये।

प्रार्थी और विप्रार्थीगण 2 ता 6 और की ओर से लिखित में बहस प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी की ओर से लिखित में बहस में निवेदन किया गया कि यह कि प्रार्थी ने न्यायालय के सम्म धारा 131 आर.एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र में मूल खसरा सं. 10 में किसी भी तरमीमी खसरा की कोई तरमीम दिनांक 07.07.2010 तक कोई तरमीम अंकित नहीं थी, किन्तु उसके बाद काशत का समय शुरू हुआ, तो मौके पर माफिक कब्जा प्रार्थी ने हमेशा की भांति काशत कर ली, किन्तु उसके बाद हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की, जो दिनांक 08.11.2010 को प्राप्त हुई, तो ज्ञात हुआ कि जिस जगह प्रार्थी का कब्जा काशत, रिहायशीय ढाणी, पानी के टांके बने हुए है, उस भाग को बिना कब्जे को विप्रार्थी सं. 02 ठाकराराम के खातेदारी की भूमि होना बताकर खसरा सं. 897/10 की तरमीम कर दी गई, इस कारण मौके पर विवाद हुआ, जबकि ऐसी तरमीम से पूर्व प्रभावित काबिज काशतकार प्रार्थी या अन्य कारशतकार को कोई सूचना नहीं दी गई, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि मूल खसरा सं. 10 के करीब 10 तरमीमी खसरा न बने उनमें से मात्र एक खसरे खसरा सं. 897/10 की तरमीम मुख्य सड़क पर लगते हुए भाग पर की गई। दिनांक 07.07.2010 को हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा पी-35 क्रमांक 3540 एनेक्जर 01 है, दिनांक 08.11.2010 को जारी नक्शा पी-35 क्रमांक 3592 एनेक्जर 02 है, मौके व रेकर्ड की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकन आया कि खसरा सं. 897/10 की तरमीम मुख्य सड़क पर की गई है, जो ठाकराराम के कब्जे में बताई थी, उस भूमि पर ठाकराराम का कभी कब्जा काशत नहीं रहा है, उक्त तरमीम बताई गई भूमि के मौके पर 09 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काशत है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, रेकर्ड से अधिक भूमि का आवंटन भी हुआ, विप्रार्थी सं. 02 ने उक्त भूमि अपने हकपुर्वाधिकारी गोपालकृष्ण से दिनांक 17.07.2000 को खरीद की, उसमें भी सड़क के किनारे भूमि नहीं है, उसके अनुसार बदिशा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तीनों तरफ खसरा सं. में जो पडोस बताये गये है, उसके अनुसार दिनांक 17.07.2000 एनेक्जर 03 है। 10 का शेष रकबा होना अंकित किया है, बेचाननामा दिनांक 17.07.2000 एनेक्जर 03 है। एनेक्जर 02 जो दिनांक 08.11.2010 को जारी हुआ है, में जो तरमीम खसरा सं. 897/10 की दर्शायी गई है, जो विवादित है, के बदिशा पूर्व तथा पश्चिम में खसरा सं. 10 का कोई भाग शेष नहीं है, जिससे भी स्पष्ट है, कि तरमीम यदि उक्त बेचाननामा के आधार पर की हुई मान ली जायें तो भी उसके पडोस मौका स्थिति अनुसार मेल नहीं खाते है। विप्रार्थी सं. 02 ने मौके पर अपना कोई कब्जा नहीं होते हुए भी खसरा सं. 897/10 की भूमि के बिना कब्जे के बेचान विप्रार्थी सं. 03, 04, 05, 06, 07 को की, विधि अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता, वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि मौका रिपोर्ट प्रदर्श 04, 05 में मौके पर विप्रार्थी सं. 02 का कोई कब्जा नहीं था और न विप्रार्थी सं. 02 ने जिन्हें यानि विप्रार्थी सं. 03 ता 07 को बेचान की है, उनका कब्जा ही रहा, जबकि प्रार्थी भूराराम खसरा सं. मूल 10 के तरमीमी खसरा सं 857/10, 859/10 कुल रकबा 41.10 बीघा का

रिकॉर्ड खतबंद है, और नौक पर कब्जा उक्त 41/10 बीघा भूमि पर नहीं है, नौक पर जिन जगह भूमि खसरा सं. 897/10 की तरमीम की उस स्थान पर प्रार्थी का बनीर खतबंद कब्जा फिर भी उसे चुनवाई अवसर नहीं दिया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त दूसरे नुक का होने का घोर उल्लंघन हुआ, जिससे भी उक्त तरमीम हटाकर दिनांक 07.07.2010 को जारी नक्शा लट्ठा ट्रेस के अनुसार स्थिति कायम कर कब्जा काशत व खातेदारी भूमि के रकबे को सम्बन्धित रखते हुए पुनः कायम किया जाना आवश्यक है। विप्रार्थी सं. 02 बार-बार यह कथन करता है, कि उसके हकपूर्वाधिकारी जमनादेवी के खातेदारी की भूमि में से भूमि सड़क हेतु आवंटित होने का कथन किया जा रहा है, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि जिन दिन भूमि सड़क में अवाप्त होना बताई जा रही है, उस रोज न तो विप्रार्थी सं. 02 खातेदार था, न विप्रार्थी सं. 02 के हकपूर्वाधिकारी जमना ही खातेदार थी, अलावा इसके विप्रार्थी सं. 02 व विप्रार्थी सं. 03 ता 07 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसमें विप्रार्थी सं. 02 की हकपूर्वाधिकारी को आवंटित भूमि मूल मुख्य सड़क पर रही हो, यहां यह निवेदन करना समीचीन है, कि जिस प्रकार से खसरा सं. 897/10 की तरमीम की गई है, उसे मूल खसरा सं. 10 के अन्य तरमीमी बने तमान खसरा के आवागमन के रास्ते भी अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे भी स्पष्ट है, कि ऐसी तरमीम होना न तो सम्भव था और न सम्भव है, मात्र लट्ठा ट्रेस में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाल स्याही से लकीरें खींच दी गई हैं, जिससे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विप्रार्थी सं. 02 ने अपने लिखित बहस में यह कथन किया है, कि वाद सं. 01/2011 जनवरी 2011 से विचाराधीन है, मैं उक्त तथ्य तय किया जा सकता है, वर्तमान सक्षिप्त प्रकरण में ऐसे तथ्य तय नहीं किये जा सकते, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि मूल वाद सं. 01/2011 में चाहा गया अनुतोष मात्र धारा 188 रा.का.अ. की परिधि का है, जिसमें रिकॉर्ड या तरमीम का न तो अनुतोष चाहा गया है, और न ऐसा अनुतोष धारा 188 रा.का.अ. के तहत दिया जा सकता है, उक्त ऐतराज निराधार तथ्यों का है, यदि वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी द्वारा धारा 88 रा.का.अ. का वाद पेश किया जाता और कोई घोषणात्मक अनुतोष चाहा जाता, जिससे पक्षकारान के हक, हित या अधिकार तय होते तो ऐसी सक्षिप्त प्रकृति की कार्यवाही धारा 131 आर.एल.आर की पोषणीय नहीं होती, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। विप्रार्थी सं. 02 ने न्यायिक कार्यवाही के दरम्यान बेचान किये, विप्रार्थी सं. 01 एवं उसके अधिनस्थ पदस्थापित कर्मचारियों ने विधिक कार्यवाही के विचाराधीन रहते रिकॉर्ड में कोई आगे से आगे अन्तरण होना बताकर नयी प्रविष्टियां अंकित की गई हैं, उससे कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होता है, क्योंकि मूल नालिक के अधिकार होते हैं, उससे बेहतर अधिकारों का अन्तरण नहीं किया जा सकता है।

अतः लिखित बहस विप्रार्थी सं. 02 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर की गई अवैध तरमीम को हटाकर भूमिधारक को आवेशित किया जावे कि दिनांक 07.07.2010 एनेक्जर 01 अनुसार स्थिति कायम कर कब्जा काशत खातेदारी के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से तरमीम की कार्यवाही करें।

इसके विपरित विप्रार्थीगण 2 ता 6 की ओर से लिखित बहस एवं न्याय इष्टान्त 2018(2)RRT 1057, 2012(2)RRT 1130, 2017(1) RRT 660 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने धारा 125, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र पेश कर तरमीमी को निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम करने हेतु पेश किया है, जिसमें उल्लेखित किया कि मूल खसरा सरहद मौजा भांडियावास में प्रार्थी व प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी को भूमि आवंटन की गयी। उसी अनुसार उसी जगह पर काबिज रहकर प्रार्थी काशत करता है, प्रार्थी की रहवासी ढाणी एंवम पानी का टांका वगैराह बना हुआ है, दिनांक 07.07.2010 तक तरमीम की हुई नहीं थी वगैरा-वगैरा तथ्यों के साथ पेश की जिसको विप्रार्थीगण ने अस्वीकार करते हुए विस्तृत जवाब पेश किया गया। खसरा नम्बर 10 रकबा 136-12 बीघा बरानी अवल भांडियावास की सरहद में आया हुआ था जिसमें 100-00 बीघा भूमि आवंटन की गयी नोट

(मरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अंतीम वर्ष 2022-2025 में दर्ज है। खसरा संख्या 10 में से 30-00 बीघा भूमि जमना पत्नी रुमा कौम विशनोई साकिन उमरलाई को आवंटन की गयी जो भूमि राजमार्ग सड़क बालोतरा जोधपुर से लगती बदिशा दक्षिण में स्थित है, बाद आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त होने से उनके नाम खेत खसरा नम्बर 10/8 रकबा 30-00 बीघा गैरखातेदारी में दर्ज की गयी, ताबाद बालोतरा जोधपुर सड़क को चौड़ा किया गया तो खातेदार जमना पत्नी पत्नी रुमा कौम विशनोई के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10मी/8 रकबा 30-00 बीघा में से 07-10 बीघा भूमि सड़क कम करते हुए जमना देवी के खातेदारी भूमि में से भूमि सड़क हेतु ली गयी। जिस पर जमना देवी के नाम खसरा नम्बर 10/8 रकबा 22-10 बीघा भूमि दर्ज की गयी, तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा संख्या 10/8/1 रकबा 07-10 बीघा दर्ज की गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 275 भरा गया। उपरोक्त इन्दाज से स्पष्ट है कि जमनादेवी को आवंटन सुदा भूमि राजमार्ग बालोतरा से जोधपुर के लगती बदिशा दक्षिण में आयी हुई थी।

ताबाद आवंटी जमना खातेदारी हक प्राप्त करने करने की तमाम शर्तों को पूरा कर रही थी तो खसरा नम्बर 10/8 रकबा 22-10 बीघा पर जमना देवी को गैर खातेदारी से खातेदारी हक वर्ष 2037-2040 में दिये गये भूमि पर जमनादेवी बहैशियत काश्तकार खेत खसरा 10/8 रकबा 22-10 बीघा भूमि की खातेदार काश्तकार थी तथा भूमि पर उसका मौके पर कब्जा काश्त था तो जमनादेवी ने संवत 2050-2053 में खसरा नम्बर 10/8 रकबा 22-10 बीघा का हस्तान्तरण पंजीकृत बेचाननामा के जरिये गोपालकृष्ण पुत्र जयरूपराम को करने से काश्तकार दर्ज किया गया तथा राजमार्ग सड़क से लगती भूमि खसरा नम्बर 10/8 रकबा 22-10 बीघा भूमि पर पर कब्जा काश्त था तो उसे अपनी खातेदारी भूमि का वर्ष 2054-2057 में पंजीकृत बेचाननामा के जरिये विप्रार्थी संख्या 2 ठाकराराम को बेचान कर दिया जिस पर ठाकराराम का भूमि पर कब्जा काश्त बहैशियत खातेदार काश्तकार की होने से भूमि पर उसे खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया तथा भूमि पर ठाकराराम का कब्जा काश्त रहा। तरमीम करते समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा संख्या 10/8/1 रकबा 07-10 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 2 का व मौके पर कब्जे का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात खसरा संख्या 10/8 रकबा 22-10 बीघा की तरमीम राजस्व नक्शे में की गयी, जिसके मौजूदा राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 897/10 रकबा 22-10 बीघा में से 6-00 बीघा भूमि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 11.07.2011 को प्रवीण कुमार को बेचान की, जिसके खसरा नम्बर 1219/897 रकबा 6-00 बीघा दर्ज किया गया, ताबाद पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 03.03.2011 को 1-00 बीघा भूमि चन्द्राराम को, 02-00 बीघा पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 03.03.2011 को पुखराज धांची को, 06-00 बीघा भूमि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 09.02.2011 को गोर्धनदास को रकबा 01-05 बीघा भूमि पवनकुमार को पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 03.03.2011 को जरिये हस्तान्तरित की गयी, जिनको बेचाननामों के आधार पर काश्तकार दर्ज किये गये जो तरमीम पुख्ता हो चुकी है। इस प्रकार खसरा संख्या 897 रकबा 6-00 बीघा भूमि गोर्धनदास के नाम, खसरा संख्या 1217/897 रकबा 2-00 बीघा भूमि पुखराज धांची के नाम, खसरा संख्या 1218/897 रकबा 1-00 बीघा भूमि चन्द्राराम के नाम, खसरा संख्या 1219/897 रकबा 6-00 बीघा भूमि पवनकुमार के नाम, खसरा संख्या 1221/897 रकबा 0-05 बीघा भूमि ठाकराराम के नाम, की खातेदारी दर्ज की गयी।

प्रार्थी को खसरा संख्या 10 में से कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी, न ही ऐसा कोई राजसव रेकॉर्ड ही पेश किया है, प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 01 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भूमि उसके हकपूर्वाधिकारी को आवंटित हुई थी, लेकिन उसका नाम नहीं बताया है, विप्रार्थीगण को जहां तक पता चला है भूमि खेत खसरा संख्या 10/859 रकबा 24-00 बीघा भूमि लीलाधर पुत्र रामलालजी पालीवाल से पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 08.08.1972 के जरिये खरीद की गयी। बेचाननामा की प्रति विप्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है, जिसमें खसरा संख्या 10/859 के पडोस अंकित किये हुए नहीं है, न उक्त भूमि को तरमीम होना बताया गया है,



निदेश सोनी
सपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि बालोतरा जोधपुर सड़क मार्ग से लगती भूमि आयी हुई नहीं है, बल्कि अन्य जगह पर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ में एक भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उसकी भूमि बालोतरा जोधपुर सड़क राजमार्ग से लगती आयी हो तथा उस पर उसका कब्जा बहैशियत खातेदार काश्तकार के हो। प्रार्थी ने मौके पर फोटो पेश किये है जिसमें कुतर खाली करते हुए बताया गया है, जो मात्र साक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया है, प्रार्थी का कब्जा नहीं है, जैसा कि माननीय न्यायालय राजसव मण्डल ने अपने निर्णय 2012 (2)RRT 1130 में निर्धारित किया है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने कई पर भी नहीं खसरा संख्या 10/8 (897/10) की जगह उसके हक पूर्वाधिकारी के नाम तरमीम कर दी गयी थी। उसी हटाकर खसरा संख्या 10/8 की तरमीम की गयी है। प्रार्थी अपने खसरा संख्या 10/859 की तरमीम करने बाबत निवेदन नहीं किया है। जबकि विप्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी के नाम की गयी तरमीम को हटाने का निवेदन किया ऐसे सूरत में प्रार्थना-पत्र चलने काबिल नहीं है। प्रार्थी ने राजसव वाद संख्या 01/2011 वर्ष जनवरी 2011 में पेश कर दिया तथा ताबाद संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत वर्तमान प्रार्थना-पत्र धारा 125, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत जनवरी 2012 में पेश किया है। दावे में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र में स्थगन आदेश जारी हो रखा है। जहां दावा पूर्व से लम्बित है, तो संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि दावे में जो आदेश होगा व प्रिविलेज करेगा। प्रार्थी ने अपने को बालोतरा जोधपुर सड़क पर प्रतिस्थापित करवाने हेतु झूठा मनघडन्त प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, विद्ववान अधिवक्तागण की और प्रस्तुत लिखित बहस, साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करने के उपरान्त विवेचन किया गया प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष धारा 125, 131 आर.एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र में मूल खसरा सं. 10 में किसी भी तरमीमी खसरा की कोई तरमीम दिनांक 07.07.2010 तक कोई तरमीम अंकित नहीं थी, किन्तु उसके बाद काश्त का समय शुरू हुआ, तो मौके पर माफिक कब्जा प्रार्थी ने हमेशा की भांति काश्त कर ली, किन्तु उसके बाद हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की, जो दिनांक 08.11.2010 को प्राप्त हुई, तो ज्ञात हुआ कि जिस जगह प्रार्थी का कब्जा काश्त, रिहायशीय ढाणी, पानी के टांके बने हुए है, उस भाग को बिना कब्जे को विप्रार्थी सं. 02 ठाकराराम के खातेदारी की भूमि होना बताकर खसरा सं. 897/10 की तरमीम कर दी गई, इस कारण मौके पर विवाद हुआ, जबकि ऐसी तरमीम से पूर्व प्रभावित काबिज काश्तकार प्रार्थी या अन्य काश्तकार को कोई सूचना नहीं दी गई, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि मूल खसरा सं. 10 के करीब 10 तरमीमी खसरा बने उनमें से मात्र एक खसरे खसरा सं. 897/10 की तरमीम मुख्य सड़क पर लगते हुए भाग पर की गई। दिनांक 07.07.2010 को हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा पी-35 क्रमांक 3540 एनेकजर 01 है, दिनांक 08.11.2010 को जारी नक्शा पी-35 क्रमांक 3592 एनेकजर 02 है, मौके व रेकर्ड की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकन आया कि खसरा सं. 897/10 की तरमीम मुख्य सड़क पर की गई है, जो ठाकराराम के कब्जे में बताई थी, उस भूमि पर ठाकराराम का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त तरमीम बताई गई भूमि के मौके पर 09 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, रेकर्ड से अधिक भूमि का आवंटन भी हुआ, विप्रार्थी सं. 02 ने उक्त भूमि अपने हकपूर्वाधिकारी गोपालकृष्ण से दिनांक 17.07.2000 को खरीद की, उसमें भी सड़क के किनारे भूमि नहीं है, का स्पष्ट अंकन पेज सं. 03 में आया है, तथा पेज सं. 03 में जो पडोस बताये गये हैं, उसके अनुसार बदिशा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तीनों तरफ खसरा सं. 10 का शेष रकबा होना अंकित किया है, बेवाननामा दिनांक 17.07.2000 एनेकजर 03 है। एनेकजर 02 जो दिनांक 08.11.2010 को जारी हुआ है, में जो तरमीम खसरा सं. 897/10 की दर्शायी गई है, जो विवादित है, के बदिशा पूर्व तथा पश्चिम में खसरा सं. 10 का कोई भाग शेष नहीं है, जिससे भी स्पष्ट साबित



(Handwritten signature)

3. कि तरमीम यदि उक्त बैचाननामा के आधार पर की हुई मान ली जावे तो भी उसके पडोस मौका स्थिति अनुसार मेल नहीं स्पष्ट रूप से खाते है। क्योकि वर्तमान तरमीम में के अनुसार बैचान दस्तावेज संख्या 234/2000 दिनांक 17.07.2000 के अनुसार विप्रार्थी संख्या 2 के पाडोस में खसरा नम्बर 10 नम्बर बदिशा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, में बताये गये है, तथा बदिशा उत्तर में रास्ता उल्लेखित किये गये है, बैचान दस्तावेज में पेज संख्या 03 के लाईन संख्या 11 ता 13 में स्पष्ट दर्ज है कि उक्त खातेदारी भूमि हक बैचान ग्राम भांडियावास के उत्तर की तरफ 2 कि.मी. के लगभग दूर है, जो कि एक फसलीय कम उपजाऊ है, सड़क के किनारे नहीं है इसलिए इसका सही बैचान प्रतिबीघा 2500/- रुपये के भाव से किया है। वर्तमान तरमीम जिसमें खसरा नम्बर 09 व 13 बदिशा पश्चिम व पूर्व में की गई है। खसरा नम्बर 897/10 की उक्त तरमीम बिना सक्षम अधिकारी से किये जाने से प्रारम्भ से ही शून्य प्रतीत होती है। तरमीम करते समय बैचान दस्तावेज संख्या 234/2000 दिनांक 17.07.2000 के अनुसार विप्रार्थी संख्या 2 के पाडोस में खसरा नम्बर 10 नम्बर बदिशा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, में बताये गये है, तथा बदिशा उत्तर में रास्ता के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

उपरोक्त तमाम वाक्यात एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किये गये संग्र विवेचन एवं विधि में प्रावधित प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी की और से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 125, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर मौजा भांडियावास के खसरा नम्बर 10 मे से मुख्य सड़क नेशनल हाईवे पर जुड़ती हुई की गई तरमीम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नम्बर 897/10 में किये जाने के फलस्वरूप निरस्त की जाती है। तथा तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 07.07.2010 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना सुनिश्चित करे।



निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

(नरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा